

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिकों के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) एवं 01 स्वाभाविक मृत्यु के मामले में ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 130000/- (एक लाख तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 101 दिनांक 15.2.17 एवं 412 दिनांक 31.8.17 द्वारा खाता संख्या 6004000100063927, आई.एफ.एस.सी PUNB0600400 एवं 4604101510001818 आई.एफ.एस.सी BKID0004604 में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रित/लाभार्थी के खाता में त्रुटिपूर्ण बैंक खाता विवरणी रहने के कारण के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 101 दिनांक 15.2.17 के क्रमांक 20 एवं 412 दिनांक 31.8.17 के क्रमांक 17 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा के पत्रांक 747 दिनांक 30.8.18 एवं 843 दिनांक 27.9.18 के द्वारा प्राप्त बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि का विमुक्ति का आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उप, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलापदाधिकारी / श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० हीरा लाल शर्मा, 57, सामान्य	श्रीमती तेतरी देवी(पत्नी)	756/31.12.16	ग्रा०-भगवतपुर, पो०-जलपुर, था०-चौदी, प्र०-कोईलवर, भोजपुर	60040001 00063927	Punjab national bank, Sandesh, PUNB0600400	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु बढ़ईगिरी
2	स्व० विजय साव, स्व० काशीनाथ प्रसाद साव, अनु० जाति	श्रीमती रीता देवी(पत्नी)	328/31.5.17	ग्रा०+पो०-कायमनगर, आरा, था०+प्र०-कोईलवर, भोजपुर	46041051 0001818	बैंक ऑफ इंडिया, आरा, BKID0004604	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रिक्शाचालक

कुल :- ₹ 130000/-

(एक लाख तीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-39(अंश)/2015 के पृष्ठ-41/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

5. पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक ज्ञापांक 101 दिनांक 15.2.17 के क्रमांक 20 एवं 412 दिनांक 31.8.17 के क्रमांक 17 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(के० सैथिल कुमार)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39(अंश)/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


ह०/-


(क० सेंथिल कुमार)
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-39(अंश)/2015-526

पटना, दिनांक :- 26-11-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 130000/- (एक लाख तीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, भोजपुर, आरा को उनके पत्रांक 747 दिनांक 30.8.18 एवं 843 दिनांक 27.9.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(क० सेंथिल कुमार)
कार्यकारी निदेशक।